संख्या-8-1312/86-2014-371/2005

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधिक्षक,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 14 जुलाई 2014

विषय- अवैध खनन, अवैध परिवाहन व खनन माफियाओं के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु खान अधिकारी/खान निरीक्षक को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन स्तर पर अवैध खनन, अवैध परिवाहन व खनन माफियाओं द्वारा पट्टेधाराकों को डरा-धमकाकर खनन किये जाने की सूचनायें निरन्तर प्राप्त हो रही है। अवैध खनन/परिवहन तथा ओरवलोडिंग आदि पर प्रभावी नियन्त्रण रखने एवं जॉच के समय खान अधिकारी/खान निरीक्षक के अनुरोध पर इस हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाना सुनिशिचत किया जाय। खनिज से संबंधित ओवरलोडिंग आदि की जॉच के समय खान अधिकारी/खान निरीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए दण्ड/शमन के संबंध में विधिविहित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाए। उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिशिचत कराया जाय।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या-1312(1)/86-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in